गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम)
औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
भारत गणराज्य
तथा
जर्मन पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क ऑफिस

(Deutsches Patent-und Markenamt)
के बीच
द्विपाक्षिक सहयोग पर समझौते का ज्ञापन

कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम),औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,भारत गणराज्य तथा जर्मन पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क ऑफिस (डीपीएमए) ("दोनों कार्यालय"), औद्योगिक सम्पदा के आयाम में उन्नति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय पेटेंट प्रणाली के आधुनिकीकरण में भारत सरकार के महत्ती प्रयास और निवेश को स्वीकारते हैं और दोनों संस्थानों को और अधिक अनुपूरक बनाने के उद्देश्य से सीजीपीडीटीएम और डीपीएमए के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि जर्मनी और भारत के बीच आर्थिक और तकनीकी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके।

यह माना गया है कि ज्ञान-आधारित समाज और नई तकनीकों के आगमन से सृजित चुनौतियों का प्रभावी प्रत्युत्तर प्रदान करने के उद्देश्य से आविष्कार को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रणाली को उन्नत और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में दोनों कार्यालय अपने राष्ट्रीय विधान के अनुसरण में और अपनी-अपनी वित्तीय और मानव संसाधनों की सीमाओं के अंदर निम्नलिखित गतिविधियां चलाने के अपने संकल्प की घोषणा करते हैं :

I. उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में इस क्षेत्र की दो संस्थाओं के उत्तरदायित्वों के अनुसरण में इन पक्षकारों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है।

II. सहयोग के क्षेत्र

दोनों कार्यालय अपने संबद्ध उद्योग, शोध और नागरिकों के लाभार्थ, भारत और जर्मनी दोनों जगह, बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग करने का इरादा रखते हैं।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों कार्यालय बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के क्षेत्र में क्षमता सृजन, मानव संसाधन विकास और जन-जागरूकता कार्यक्रमों में परस्पर विश्वास, सम्मान एवं समान आदर्शों के आधार पर एक संबंध विकसित करने का इरादा रखते हैं।

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

III. क्षमता सृजन

दोनों कार्यालय बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में क्षमता सृजन के लिए मिलकर कार्य करेंगे जिसमें बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों का स्वचालन और आधुनिकीकरण, डाटाबेस का विकास और बौद्धिक सम्पदा आवेदनों की प्रक्रिया के युक्तिकरण और सरलीकरण के साथ-साथ पेटेंट आंकड़े, पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में सर्वोत्तम व्यवहार आदि शामिल हैं।

IV. मानव संसाधन विभाग

दोनों कार्यालय दोनों देशों में बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रणालियों के कार्य को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कर्मचारी के प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास में सहयोग करने का इरादा रखते हैं, जिसमें औद्योगिक सम्पदा अधिकार के लिए आवेदनों के परीक्षण का प्रशिक्षण शामिल है।

V. जन-जागरूकता कार्यक्रम

दोनों कार्यालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में जन-जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिलकर कार्य करने का इरादा रखते हैं। इसमें हितधारकों सहित आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों आदि के साथ-साथ एक बौद्धिक सम्पदा संवेदी समाज सृजित करने के उद्देश्य से आम जनता के लिए सेमिनार, सिम्पोजिया और कार्यशालाओं का संयुक्त आयोजन शामिल हो सकता है।

VI. स्वचालन

दोनों कार्यालय अपने-अपने कार्यालयों में सूचना तकनीक प्रणाली को अद्यतन करने की संभावनाओं की खोज करने का इरादा रखते हैं ताकि डाटा हस्तांतरण, डाटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक परस्पर पहुंच बढ़ाया जा सके।

इस उद्देश्य के लिए, दोनों कार्यालय उनके संस्थानों में सूचना प्रणाली के विकास या क्रियान्वयन के लिए अपनी-अपनी स्वचालन नीतियों, कार्य नीतियों और योजनाओं संबंधी सूचना का हस्तांतरण कर सकेंगे।

VII. पेटेंट डाटाबेस और डाटा हस्तांतरण

दोनों कार्यालय उनके परीक्षकों और आम जनता को उपलब्ध हो सकने वाले पूर्ण और बेहतर गुणता सम्पन्न पेटेंट सूचना बनाने के मद्देनजर मिलकर कार्य करने का इरादा रखते हैं।

दोनों कार्यालय अपने-अपने पेटेंट नियमों के अनुसरण में किए गए पेटेंट आवेदनों और अनुदानित पेटेंट दोनों पर सूचना का हस्तांतरण करेंगे। यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हस्तांतरित होगी।

VIII. बौद्धिक सम्पदा जागरूकता और आविष्कार

दोनों कार्यालय उन सेवाओं के सृजन और क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं जो समाज के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक सम्पदा की महता पर जागरूकता बढ़ाएगा।

इसके अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा के हितधारकों जैसे आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वकीलों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायों और औद्योगिक सम्पदा से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत सिविल सेवकों के लिए सेमिनारों का संयुक्त संचालन, सिम्पोसिया कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

इस क्षेत्र के गतिविधियों में बौद्धिक सम्पदा और नवीन खोज के संवर्द्धन को समर्पित केन्द्रों के नेटवर्क का विकास शामिल हो सकता है।

इन गतिविधियों का समन्वय अन्य सहभागियों जैसे सरकारी एजेंसियां, विश्वविद्यालय, वाणिज्य संस्थान आदि के साथ किया जा सकेगा जो इस नेटवर्क की निरंतरता और रख-रखाव में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

IX. वार्षिक कार्य-योजना

दोनों कार्यालय प्रत्येक वर्ष चलाए जाने वाले निर्दिष्ट सहयोग गतिविधियों का निर्धारण करने वाले वार्षिक कार्य-योजना की संयुक्त रूप से रूप-रेखा तैयार करेंगे।

वार्षिक कार्य-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे,

क. बौद्धिक सम्पदा कार्यालय कार्यकताओं, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायियों और बौद्धिक सम्पदा नीति निर्माताओं के प्रशिक्षण में भारत और जर्मनी के बीच अनुभव का आदान-प्रदान करना।

ख. ऐसे प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मॉड्यूल और पाठ्यक्रम विकसित करना।

ग. दोनों देशों में बौद्धिक सम्पदा संस्थानों के बीच नियमित शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए निरंतर संस्थागत सहयोग विकसित करना।

घ. बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के स्वचालन, बौद्धिक सम्पदा डाटाबेस और पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाईन आदि की परीक्षण प्रक्रियाओं के विकास की सूचना और सर्वोत्तम पद्धति का हस्तांतरण।

ङ. विद्यार्थियों, उद्योगपतियों और सिविल समाज के बीच बौद्धिक सम्पदा के विषय में जागरूकता प्रसारित करने की सर्वोत्तम पद्धति का हस्तांतरण।

च. अधिकार धारकों और उपभोक्ताओं के बीच विद्यमान चिंताओं के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था के विषय में सूचना का हस्तांतरण।

छ. निर्दिष्ट बौद्धिक सम्पदा मुद्दों पर संयुक्त गतिविधियां।

ज. पारम्परिक ज्ञान की संरक्षा के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान करना।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में कार्य के क्षेत्र, संसाधनों का प्रशासन और समनुदेशन, कुल परिव्यय और उनका वितरण, समय-सूची और कोई अन्य आवश्यक समझे जाने वाली सूचना सहित सहयोग गतिविधियां चलाने के लिए विस्तृत योजना शामिल होनी चाहिए।

वार्षिक कार्य योजना में इस समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट सभी क्षेत्रों की सहयोग गतिविधियां शामिल करना आवश्यक नहीं होगा।

X. निगरानी तंत्र

वार्षिक कार्य योजना की रूप-रेखा तैयार करने, उनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा दोनों कार्यालयों के हितार्थ किसी बिन्दु पर विचारों का आदान-प्रदान सुलभ कराने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) की स्थापना की जाएगी।

यह जेसीएम वर्ष में कम से कम एक बार बैठक कर वार्षिक कार्य योजना पर विचार-विमर्श करेगी और जारी सहयोग गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इसकी बैठक दोनों कार्यालयों में से किसी एक के औपचारिक लिखित अनुरोध पर भी बुलाई जा सकेगी, बशर्ते की दूसरा पक्ष सहमत हो।

XI. धन

प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन संबद्ध कार्यालयों के वार्षिक बजट में अपेक्षित कोष की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

XII. सामान्य

दोनों कार्यालयों के बीच सहयोग इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से कम से कम दो वर्षों के लिए इस ज्ञापन द्वारा निदेशित होंगे।

जब कोई एक पक्ष इस ज्ञापन में उल्लिखित गतिविधियों को जारी नहीं रखने की इच्छा रखते हों तो उन्हें समय रहते, अर्थात् कम से कम तीन महीने पहले, दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देनी चाहिए।

इस सहयोग के वर्तमान लक्षित समय से पूर्व समाप्त किए जाने की स्थिति में वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत पहले से योजनाबद्ध सहयोग कार्य पूर्ण किए जाने चाहिए।

यह समझौता ज्ञापन दो मूल प्रतियों में जर्मन और अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षरित है।

गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: अक्टूबर30, 2007

कृते कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व,
अभिकल्प व व्यापार चिह्न,
औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग,

कृते जर्मन पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क ऑफिस

अजय शंकर
सचिव
औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग,
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

डॉ. यूर्गन शाडे
अध्यक्ष
जर्मन पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क ऑफिस